न्यायालय नमित मेहता, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर,जैसलमेर

राजस्व अपील सं0 10/2015

अपीलांट

आनन्द आश्रम संत श्री मुकुन्द महाराज चेला श्री कृष्ण महाराज निवासी तहसील पोकरण।

बनाम

रेस्पोडेंट

सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण।

उपस्थितिः–

1. श्री मुरलीधर जोशी, वकील अपीलांट
2. पैरोकार राज तहसीलदार,जैसलमेर

निर्णय **दिनांक 23.10.2019**

वकील अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रकरण सं0 36/2013 अनवान सरकार बनाम आनन्द आश्रम संत श्री मुकुन्द महाराज चेला श्री कृष्ण महाराज निवासी तहसील पोकरण में तहसीलदार, पोकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 से पारित जुर्माना एवं बेदखली की सजा से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अपील निर्धारित समयवाधि में प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप अपील न्यायालय में सब्जेक्ट टू लिमिटेशन के दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया एवं पक्षकारों की बहस दिनांक 28.05.2019 को सुनी गई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का के द्वारा रेस्पोडेंट/अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा संवत् 2069 में ग्राम पोकरण के ख0नं0 1039 रकबा 65–06 बीधा किस्म गै.मु. नदी में 8415 वर्गफीट पर मंदिर आश्रम एवं चार दीवारी, बाडायुक्त परिसर बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही करवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रिपोर्ट पटवारी को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को इस आशय का नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 06.04.2013 को जारी किया गया कि उसके द्वारा राजकीय भूमि पर अतिचार किया गया है, अतः इसके लिये उसके विरूद्ध जुर्माना तथा बेदखली की कार्यवाही क्यों नहीं की जावे। अपीलांट को उपरोक्त नोटिस तामील होने के उपरान्त उसके द्वारा न्यायालय में जरिये वकील दिनांक 16.04.2013 को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.09.2015 को अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूत को रेकर्ड पर लेकर एवं उसका अवलोकन करने के उपरान्त विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित होने से तथा माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा DBCW1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार व माननीय राज. न्यायालय जयपुर पीठ DBCW11153/2011 सोमोटो बनाम सरकार में जारी किये गये निर्देश कि जल प्रवाह क्षेत्र में जारी पट्टे/नियमन/आवंटन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है और अतिक्रमण की श्रेणी में होने का संदर्भ उल्लेखित करते हुए प्रकरण में उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य को अस्वीकार कर उसके विरूद्ध भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माने की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलांट के द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में उसके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है एवं इस संबध में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है, अतः अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर जैसलमेर

Scanned by CamScanner

का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि माफ की जाती है एवं अपील म्याद में शुमार की जाती है।

अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि, विधान एवं न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है एवं अपीलांट के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अंपीलांट ने विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है, इस स्थान पर 200 वर्ष पुराना आश्रम आबादी में बना हुआ है, जो कि जोधपुर रियासत के समय का है व सेटलमेंट के समय से पुराना है। वकील अपीलांट के द्वारा यह भी कथन किया गया कि इस मामले में तहसीलदार, पोकरण ने धारा 91(6) तहत वर्ष 1999 में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी, जिसके संबंध में ए. सी. जी. एम. न्यायालय, पोकरण में फोजदारी प्रकरण सं. 590/1999 चला था इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2002 में अपीलांट को बरी किया गया था। इस मामले में पटवारी हल्का ने दिनांक 23.12.2001 को यह माना कि यह जमीन जो आनन्द आश्रम की है, जो नदी बहाव क्षेत्र में नहीं आती है और न ही नदी का हिस्सा है। जो आश्रम बना हुआ है व उभरे हुए भाग पर बना हुआ है एवं आबादी से लगता हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अपील में राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया गया कि मामले में अतिक्रमित भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गै. मु. नदी दर्ज है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है एवं इसमें किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में माननीय राज. उच्च न्यायालय के संदर्भित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलांट/अप्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित है। इस प्रकरण में तहसीलदार ने केवल धारा 91 के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए समरी कार्यवाही कर अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समुचित अवसर देने के उपरान्त अतिक्रमित भूमि से भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कानूनी अथवा वाकयाती भूल नहीं की गई है, अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखवाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। इस मामले में अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि ए. सी. जी. एम. न्यायालय, पोकरण में फोजदारी प्रकरण सं. 590/1999 चला था,जो कि अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा वर्ष 1999 में विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में है तथा इसमें न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2002 में अपीलांट को बरी किया गया था। इस मामले में पटवारी हल्का ने दिनांक 23.12.2001 को यह माना कि यह जमीन जो आनन्द आश्रम की है, जो नदी बहाव में नहीं आती है और न ही नदी का हिस्सा है। जो आश्रम बना हुआ है व उभरे हुए भाग पर बना हुआ है एवं आबादी से लगता हुआ है। इस संबंध में यह स्वीकृत तथ्य है कि ए. सी. जी. एम. न्यायालय, पोकरण में फोजदारी प्रकरण सं. 590/1999 चला था, जो कि अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा वर्ष 1999 में विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में है तथा इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2002 में समुचित रूप से अनुसंधान नहीं होने से अपीलांट को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया था। जबकि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर संवत् 2069 (वर्ष 2012–13) में किये गये अतिक्रमण से संबंधित है। संवत् 2069 में विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी को

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देने एवं राज्य के जल प्रवाह के क्षेत्रों में अतिक्रमणों के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका में जारी किये गये निर्देशों को मध्य नजर रखते हुए पारित किया गया है। जहां तक इस मामले में अतिक्रमित/विवादग्रस्त भूमि मौके पर जल प्रवाह के क्षेत्र में नहीं होने का अपीलांट/अप्रार्थी का कथन है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड जमाबंदी (रेकर्ड ऑफ राईटस) में गै. मु. नदी दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 140 अधिकार अभिलेख जमाबंदी में किये गये ईन्द्राज **(Presumption as to entries)** के संबंध में प्रावधान है कि **All entries made in the record of rights shall be presumed to be true until the contrary is proved.** इस मामले विवादग्रस्त भूमि की किस्म जमाबंदी में वक्त भू प्रबंध से अब तक गै. मु. नदी दर्ज है तथा यह भूमि गै. मु. नदी क्षेत्र की भूमि नहीं है, इसे विधिवतरूप से अब तक प्रमाणित करने एवं जमाबंदी में संशोधित किस्म दर्ज करवाने की कार्यवाही अपीलांट/अप्रार्थी के स्तर से करने के संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाणिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि की किस्म गै. मु. नदी ही मान्य है। इस मामले में तहसीलदार, पोकरण ने धारा 91 के तहत उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कार्यवाही कर अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये समुचित अवसर देने के उपरान्त अतिक्रमित भूमि से उसे भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माने की सजा से दण्डित करने का आदेश विधि सम्मत एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कानूनी अथवा वाकयाती भूल नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है, अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2015 को यथावत रखा जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करें। निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, जैसलमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Namit Mehta
Date: 2019.11.19 12:49:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: